

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2018 —चैत्र 21, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. एफ-ए-3-86-2017-1-पांच(42).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्तन एक करोड़ पचास लाख रुपए तक का है ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो मालों या सेवाओं को अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथाउल्लिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे.

2. उक्त व्यक्ति अप्रैल से जून, 2018 तिमाही के दौरान की गई मालों या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में 31 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे.

3. अप्रैल से जून, 2018 के मासों के लिए अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय-सीमा में विस्तार को पश्चात्वर्ती रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. एफ-ए-3-86-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-86-2017-1-पांच (42), दिनांक 11 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 11<sup>th</sup> April 2018

No. F. A.3-86-2017-1-V (42).—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 effected during the quarter April to June, 2018 till the 31st day of July, 2018.

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of Section 38 and sub-section (1) of Section 39 of the Act, for the months of April to June, 2018 shall be, subsequently, notified in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.